'राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999
(1999 का अधिनियम सं. 16)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 1999 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के उपबन्धों को, राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में "पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 40)" के अनुरूप बनाने के लिए, उपान्तरित करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का नाम. राजस्थान पंचायती राज

(उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 है।

(2) इस का प्रसार किसी नगरपालिका द्वारा प्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद

244 के खण्ड (1) में यथा-निर्दिष्ट राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में होगा।

(3) यह 26 जून, 1999 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं: इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "गांव" से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्यपाल के द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई गांव अभिप्रेत होगा;

(ख) "पंचायती राज संस्था" का वही अर्थ होगा जो उसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन समनुदेशित है।

3. अपवाद और उपान्तरण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उक्त अधिनियम या, यथास्थिति, किसी भी अन्य विधि के उपबंध राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित

अपवादों और उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम गांव स्तर पर पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये गये हों;

(ख) प्रत्येक ग्राम सभा जनता की परम्पराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक स्त्रोतों और विवाद सुलझाने के रूढ़िगत तरीके को सुरक्षित और परिरक्षित रखने में सक्षम होंगी;

(गः) प्रत्येक ग्राम सभा,

(i) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का, पंचाबूत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिये हाथ में लिए जाने से पूर्व, अनुमोदन करेगी;
(ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए उत्तरदायी होगी;

(घ) प्रत्येक पंचायत के लिए, खण्ड (ग) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का ग्राम सभा से प्रमाणीकरण प्राप्त करना अपेक्षित होगा;

(ङ) प्रत्येक पंचायती राज संस्था के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायती राज संस्था में ऐसे समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिसके लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 15 और 16 के अधीन आरक्षण दिया जाना ईप्सित है:

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल स्थानों के आधे से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे;

(च) राज्य सरकार, ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का नामनिर्देशन कर सकेगी जिनका किसी पंचायत समिति में या किसी जिला परिषद् में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होः

परन्तु ऐसा नामनिर्देशन उस पंचायती राज संस्था में निर्वाचित किये जाने वाले कुल | सदस्यों के दशांश से अधिक नहीं होगा;

(छ) ग्राम सभा या पंचायती राज संस्था से ऐसे स्तर पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का पुनःस्थापन या पुनर्वास करने के पूर्व, परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्र में परियोजनाओं की वास्तविक योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर किया जायेगा;

(ज) अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे लघु जल साधनों का, जौं राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, योजना और प्रबन्ध पंचायती राज संस्था को ऐसे स्तर परं न्यस्त किया जायेगा जो विहित किया जाये;

(झ) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को, ग्राम सभा या पंचायती राज संस्था की, ऐसे स्तर पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाये, पूर्व सिफारिश प्राप्त किये बिना, कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर नहीं किया जायेगा;

(अ) अनुसूचित क्षेत्रों में नीलाम द्वारा गौण खनिजों के विदोहन के लिए, ग्राम सभा या पंचायती राज संस्था की, ऐसे स्तर पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सिफारिश प्राप्त किये बिना कोई रियायत मंजूर नहीं की जायेगी;

(ट) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज संस्था को समुचित स्तर पर, या ग्राम सभा स्तर पर, जो विहित किया जाये,-

(i) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें,
मद्यनिषेध लागू करने, क्रिसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बंधित करने की शक्ति होगी;

(ii) गौण वन उपज का नियंत्रण और प्रबंध करने के लिए ऐसे नियम्रों के अध्यधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, गौण वन उपज का स्वामित्व होगा;

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रामण को रोकने और अनुसूचित क्षेत्रों की किसी विधिविरुद्धतः अन्य संक्रामित भूमि का प्रत्यावर्तन करने के लिए राज्य में प्रवृत्त विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई करने की शक्ति होगी;

(iv) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले ग्राम बाजार का प्रबंध करने की शक्ति होगी;

(v) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उधार पर धन देने पर नियंत्रण करने की शक्ति होगी;

(vi) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा तक और रीति से नियंत्रण करने की शक्ति होगी;

(vii) स्थानीय योजना और स्त्रोतों या जनजाति उप-योजना को सम्मिलित करते हुए ऐसी योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा तक और रीति से नियंत्रण रखने की शक्ति होगी।

4. नियम बनाने की शक्ति (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजनों की कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2.) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् व्यथाशक्त शीघ्र राज्य विधात मण्डल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगें और यदि उस सत्र के-जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधान-मण्डल ऐसे नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेंगे तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण से उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. निरसन और व्यावृत्तियां (1) राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा यथा-उपांतरित किसी अन्य विधि के अधीन किये गये समझे जायेंगे।